सतत् विकास लक्ष्य एवं महिला सशक्तोकरण

[1]संध्या बघेल,
[1]शोधार्थी, समाज विज्ञान अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, (म.प्र.)
[2]डॉ. रश्मि श्रीवास्तव,
[2]निर्देशिका, प्रोफेसर (से.नि.), राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, (म.प्र.)

प्रस्तावना– विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक–दूसरे से आगे निकल जाने की होड–सी मची है, और इसके लिए औद्योगीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकास की इस होड में हम यह भूल गए हैं कि, हम इसे किस मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। सतत् विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि भावी पीढो की आवश्यकताओं में भी कटौती न हों। यही कारण है कि सतत् विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरन्तर चलता रहता है सतत् विकास में सामाजिक एवं आर्थिक के साथ–साथ इस बात का ध्यान रखा जाता ह, कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।

सतत् विकास लक्ष्य– हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खडे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम स सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की ह, जिसका उददेश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विष्व की रचना करना हैं। स्थानीय सरकारों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, 17 में से 15 सतत् विकास लक्ष्यों का सीधा संबंध देश म स्थानीय सरकारों की गतिविधियों से है। राज्य सरकारें सतत् विकास लक्ष्यों पर अमल और उनकी निगरानी के लिए संकल्पना, नियोजक, बजट निर्धारण और विकास में गहरी रूचि ले रही हैं। एक सफल सतत् विकास एजेंडा के लिए सरकारें, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज के बीच भागीदारो आवश्यक है।

यह 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इनके निशाने पर मौजूद जटिल चुनौतियां न तो क्षेत्रों के निश्चित दायरे में और न ही राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सिमटे होते हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती है और उसका सामना करने के लिए कारोबार जगत भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, जितनी की सरकारें। विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बिना नए आविष्कार और नई सोच नहीं पनप सकती और महाद्वीपों के बीच ज्ञान के आदान–प्रदान के बिना तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लैंगिक समानता के लिए जितना कानूनी प्रावधान जरूरी है, उतना ही जरूरी समुदाय का सहयोग है। यदि हमारी महामारिया वैश्विक हैं तो उनके समाधान भी वैश्विक हैं। समावेशो भागीदारीयां साझी सोच और साझे लक्ष्यों की बुनियाद पर खड़ी हाती हैं, जो लोगों और पृथ्वी को केन्द्र में रखती है और वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जरूरी हैं।

17 सतत् विकास लक्ष्य– सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं जिसे सितम्बर,2015 में संयुक्त राष्ट्रमहासभा की शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह एजेंडा पहली जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ हैं। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्टोय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने मिलकर बातचीत की और अगले 15 वर्ष के लिए सतत् विकास हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया। सतत् विकास लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रा में कार्रवाई प्रेरित करेगें:– गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आार्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

इस समस्त एजेंड़ा में माना गया है कि अब केवल आर्थिक वृद्धि पर फोकस करना प्र्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और अधिक समतामूलक समाजों तथा अधिक संरक्षित एवं अधिक संपन्न पृथ्वी पर फोकस करना होगा। इसमें माना गया है कि शांति, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के कार्य एक–दूसरे से अलग नहीं है बल्कि उसी परिवर्तन के अंग हैं। इससे सबसे अधिक मान्यता इस बात की है कि वैश्विक और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए केवल वैश्विक और परस्पर जुड़े समाधानो की ही आवश्यकता है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए सरकारों, कारोबार जगत, प्रबुद्ध समाज और व्यक्तियों के बीच नए सिरे से वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है।

हम जैसे–जैसे 169 उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ेगे वैसे–वैसे राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को अधिक सतत् और सुदृढ़ मार्ग पर मोड़ते जाएंगे। भारत सरकार सतत् विकास लक्ष्य सहित 2030 के एजेंडा के प्रति दृढ़ता से समर्पित है इसका प्रमाण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के वक्तव्यों से मिलता है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए ''सबका साथ सबका विकास'' नीतिगत पहल, सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत दुनियाभर में सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है,'' इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारण करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारी विकसित होती समझ की झलक मिलती है।''

भारत में सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में राष्ट्रीय कारवाई– सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में तालमेल का काम भारत सरकार के नीति आयोग ने सतत् विकास लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों से जुड़ी योजनाओं की पहचान शुरू की है और हर

उद्देश्य लिए अग्रणी एवं सहायक मंत्रालयों की भी पहचान कर ली है। उन्होंने समूचे सरकारी तंत्र में सतत् विकास से जुड़ा दृष्टिकोण अपनाया है और इस बात पर जोर दिया है कि सतत् विकास लक्ष्य, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में परस्पर जुड़े हुए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे भी केन्द्र प्रायोगिक योजनाओं के साथ–साथ अपनी योजनाओं की भी इसी तरह पहचान करें। इसके अलावा, साँख्यिकी एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय सतत् विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतन विकसित करने के लिए चर्चाओं की अगुवाई कर रहा है। सतत् विकास एजेंडा के मामले में भारत की प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के पास है और उनमें से अनेक ने इन लक्ष्यों पर अमल के लिए कार्यवाई शुरू कर दी है।

सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में राज्य सरकारों की निर्णायक भूमिका है– सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की राज्य सरकारों के हाथ में है क्योंकि वही जनहित को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने में सबसे अधिक समर्थ हैं कि कोई पीछे न छूट। सरकार के अनेक प्रमुख कार्यक्रम, जैस–स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, सतत् विकास लक्ष्यों के मूल में हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें इनमें से अनेक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभानी हैं।

महिला सशक्तोकरण– महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड सामाजिक, आर्धिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता हैं। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज का पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमजोर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवाद आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक, समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया हैं।

महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षित किया जाना जरूरी है, दूसरें, आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरें, कानून एवं धर्म के अधीन महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए, चौथे उन्हें सरकार के हर स्तर पर उपयुक्त स्थान/भागीदारी मिलनी चाहिए। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये महिला सशक्तीकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त पर्यावरण की जरूरत है जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपना खुद का फैसला कर सकें। चाहें वो स्वयं, देश, परिवार या समाज किसी के लिये भी हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिये एक जरूरी हथियार के रूप में महिला सशक्तीकरण।

महिला सशक्तीकरण मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की राय लोगों द्वारा दी जाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है, जब उस देश की महिलाओं के विकास के लिए जा रहें हैं, ताकि नारी शक्ति का हर क्षेत्र में बढावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सकें। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा हैं कि वर्ष तक यह बढकर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा हैं, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ीयों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होगें।

महिलाओं के अधिकार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे है, एवं महिलाएं भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, परन्तु इस सबके बावजूद स्थिति विपरित बनी हुई हैं, महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला की दृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाएॅ समाज का एक महत्वपूर्ण आज भी पूरी तरह सशक्त नही हुई है, इसका सबसे बडा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएॅ है ,जिसमें वे तरह–तरह की हिसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पुरूष ओर दूसरी महिला सदस्यों के द्वारा भी उन्हें प्रताडित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज मे महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है।

1. महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बडी आवश्यकता उनकों अपने अधिकारों एंव कर्तव्यों के प्रति सजग होने की हैं यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊॅचा हागा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब उसकी लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाएं अरस्तु के शब्दों में ''किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति व अवनति पर ही उस राष्ट्र उन्नति व अवनति निर्भर हैं।
2. महिलाओं का समर्थ होना निरन्तर विकास की बुनियाद है। समर्थ होंने पर ही महिलाएं अपने जीवन की सभी पहलुओं पर पूरा नियत्रंण पा सकती है। अतएव जब उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को सुदृढ़ नहीं किया जाता है जब तक महिलाएं समर्थ नहीं हो सकेंगी।
3. समाज के सन्दर्भ में नारी की स्थिति युगानुयुग परिवर्तनशील बनी रही है। नारी की महता और गौरव एवं उसका वर्चस्व और गरिमा कभी उच्च से उच्चतर हो रही हैं। तो कभी उसमें हास परिलक्षित होती है। एक सा स्वरूप उसका कभी नहीं रहा आज नारी की जो सामाजिक स्थिति है। कल वैसी न थी, यह अन्य बात है कि नारी अपनी विद्मान को अतीत की अपेक्षा उन्नत मानती हैं।

4. प्रत्येक रूप में नारी को भाति–भाति पात्रता अभिनीत करनी पडती है। चकि आज की नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया हैं। उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली–भांति निर्वहन करना पडता है। इस प्रकार ही नारी को एक ही दीन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पडती है। आजकल की नारी कामकाजी नारी क रूप में अत्यधिक विस्तृत हो चुकी है। अतः स्पष्ट है, कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है नारी के संबंध में यह कहा गया है, कि उसम पृथ्वी के समान क्षमा सुर्य के समान तेज, समुद्र के समान गंभीरता चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते है अरस्तु ने कहा है कि, 'युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही अधारित हैं।'
5. समाज में जब तक नारी को उचित आदर प्राप्त नहीं होगा उसका विकास सम्भव नहीं, उसके विचार में नारी को ऐसी स्थिति मे लाना होगा जहां वह अपने समस्याओ को अपने तरीके से समाधान स्वंय कर सके और भारत की नारी ऐसा करने में उतनी ही समर्थ है। जितनी विश्व की अन्य देशों की महिलाएं। भारत म इंदिरा गांधी और अहिल्याबाई जैसे निर्भीक नारी की परम्परा को जारी शिक्षा को विस्तार और धर्म को केन्द्रीय स्थान देकर इसका चरित्र निर्माण और बम्हचर्य रक्षा में दूर तक प्रभाव पडेगा।
6. शिक्षा महिला सशक्तिकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभा सकती है। शिक्षा मनुष्य के आचार विचार व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा स्त्रिया के सगागीण विकास, समाज की चर्तुभुजी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी विविध क्षेत्रों में परिवर्तन कर देती है। महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकती है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतू सुझाव देने के लिए 1985 में देखभाल समिति का गठन किया गया, इस समिति में महिला शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक उपाय बनाए। इसके बाद महिला शिक्षा के संबंध में पुनः विस्तार से सुझाव देते हुए 1962 ने स्त्री पुरूषों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यचर्चा का सुझाव दिया। साथ ही कोठारी आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतू आधारभूत पाठ्चर्चा प्रस्तुत की। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भिन्न–भिन्न प्रांतों में स्त्री–शिक्षा को भिन्न–भिन्न रूप में सगठित किया गया।

इन सब विशेषताओं को पूरा करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। शिक्षा में कोई भेद नहीं किया जाएगा नारी की पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके अलावा स्त्रियों को विज्ञान, तकनीको और मैनेजमेन्ट की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विकास में महिलाओं की भूमिका– विकास की प्रक्रिया से महिला भागीदारी को पृथक नही किया जा सकता, महिला सहभागीता के अन्य अनेक सामाजिक व आर्थिक अभिप्राय है, इससे प्रजनता दर में कमी आती है तथा जनसंख्या वृद्वि दर भी कम होती है, प्रति व्यक्ति आय व उपभोग में वृद्वि होती है! इससे श्रम बाजार की संरचना व संचालन भी प्रभावित होता है। यदि विकासशील देशों के विकास में महिलाओं को भागीदार बनाना है तो इस दिशा में ठोस व सार्थक कार्यवाही करनी होगी, इसके लिये अब तक कि सफलताओं, असफलताओं, उपलब्धियों व रूकावटों को मददे नजर रख कर प्रयास करने होग!

अतः आवश्यकता इस बात कि है कि, सरकार द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु स्थापित विभिन्न निकायों, न्यायपालिकाओं, विधायिकाओं सार्वजनिक उद्यम आदि में लिंग पर आधारित मिथ्या धारणाओं, असमानताओं एवं सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु वर्तमान प्रयासों को अधिक सार्थक बनाया जाय, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा ह्रास निरक्षरता दूर करने के लिए ठोस एवं गहन प्रयास किये जाये, उनके ज्ञान में वृद्वि करने हेतु प्रचारतंत्र को सुसंगठित किया जाये, भूमि के स्वामित्व, खाद, उपकरण, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये निर्मित नीतियों में महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा जाय, महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने हेतु उनके कार्य हल्का किया जाये, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु औद्योगिक उत्पादन म महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाय, विकास में उनकी भूमिका बड़ाने हेतु सामाजिक रवैये में परिवर्तन किया जाये, सरकारी नीतियों व कार्यवाहीया की जानकारी महिलाओं तक पहुचाने हेतु सूचनातंत्र विकसित किया जाये तथा निर्णयों मे उनकी भागीदारी बड़ाने हेतु विशेष अवसर उपलब्ध कराये जाये!

महिलाआ के लिये आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक ह, चाहे उन्हे आर्थिक आवश्यकता हो अथवा नहो । इससे मानव गुणवत्ता में सुधार होगा, महिलाओं में आत्मबल, विश्वास व विचार उन्नत होगें, हमें महिला या पुरूष प्रधान समाज नहो बल्कि मानव प्रधान समाज बनाना है, जिसमें लिंग के आधार पर कोई उंचा–नीचा नहीं हो। स्त्री–पुरूष का शारीरिक अंतर प्रकृति की देन है। प्रकृति की आवश्यकता है, इस विभिन्नता के कारण पक्षपातपूर्ण व्यवहार नही होना चाहिए। हमारे समाज में अभी तक नारी के कार्य स्वीकृति नहो मिल पाई। आज प्रश्न अधिकारों का नहीं उनके सहीं उपयोग का है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के उचित उपयोग, महिला प्रशिक्षण, नौकरियों के बीच तालमल, महिला रोजगार के क्षेत्रों एवं कार्य के घंटों में अनुकूल स्थितियों के निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिये एक उचित राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तोकरण के साधन– शिक्षा उचित पर्याप्त शिक्षा के बिना महिलाओं के सशक्त व्यक्तित्वों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने कें लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे एक एक ज्ञानवान समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। संचार कौशल प्रभावो संचार कौशल के विकास के बिना महिलाए अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। सफल होन के लिए उनका प्रभावी ढंग से संवाद कर पाना उनके लिए जरूरी है। एक परिवार एक टीम या कंपनी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नेताओं के रूप में उन्हे लोगों को अपनी बात समझाने की आवश्यकता हैं। इंटरनेट की शक्ति इंटरनेट की उपलब्धता ने महिलाओ के सामाजिक संपर्क के दायरे में वृद्धि करने के

साथ ही उनके ज्ञान एंव जागरूकता का भी विकास किया है। दुनिया भर में फैले इंटरनेट ने महिलाओं से संबंधित सभी मिशनों और उनके बारे में प्रचलित गलत धारणाओ को समाप्त कर दिया हैं।

निष्कर्ष के रूप में महिला सशक्तोकरण द्वारा समाज और दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है और साथ ही यह समावेशी भागीदारी के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे परिवार एवं संगठन की खुशिया में वृद्धि होती है जहां महिलाओं का प्रभाव होता हैं। महिला सशक्तोकरण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, महिला सशक्तोकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता ह जिसके द्वारा समाज में वित्तीय माननीय एवं बाद्धिक संसाधनों पर महिलाओ का नियंत्रंण बढ़ाया जा सके। किसी भी देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को सामजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भगीदारी के पैमाने से मापा जा सकता है महिलाओं को सही मायनो में सशक्त तभी कहा जा सकता है जब समाज मं बदलाव लाने को क्षमता से संबंधित सभी उद्देश्य एक साथ पूर हो रहे हो और इनके बीच संतुलन का एहसास हो सके।

महिला सशक्तोकरण हेतु सरकारी प्रयास–

1. नवंबर 1999 में प्रारंभ पढना–बढना आंदोलन अत्यधिक सफल रहा। इस योजना के अंतर्गत एक निरक्षर को पुनः साक्षर करने पर 100 रू. गुरू दक्षिणा का प्रावधान था, वह कारगर साबित हुआ।
2. निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए यथासंभव स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित स्वयं–सवकों को दायित्व सौपां गया।
3. महिलाओं के नवसाक्षार होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व– सहायता समूहों के गठन को बढावा दिया गया। साक्षारता अभियान के माध्यम स अब तक राज्य के लगभग 2 हजार महिला व सहायता समूह विभिन्न जिलों में गठित किए जा चूके हैं।
4. अनुसुचित जाति/जनजाति तथा पिछडे वर्ग की बालिकाओं विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन –यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओ को निःशुल्क/यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना।
5. व्यासायिक एवं व्यवसायोन्मुखी परामर्श एवं प्रशिक्षण जो केवल महिलाओं पर केन्द्रित हा, का अयोजन ताकि वे अपनी योग्यताओं एवं रूचियों के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन कर सके।
6. महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उनके निजी बचत खातें, बैंकों डाकघरों में खोलने को प्राथमिकता दी गई ।
7. साक्षारता अभियान क्रियान्वयन से जुडो स्तर से लेकर ग्राम स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की समस्त समितियों की भागीदारी 30.35 प्रतिशत तक सुनिश्चित की गई।
8. आकाशवाणी रायपुर, अम्बिपुर, बिलासपुर के समय –समय पर महिला साक्षरता को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यकमों का प्रसारण किया गया।
9. शैक्षणिक पाठ्क्रमों में नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा के समावेश हेतु आवश्यक उपाय किये गये।

आज हम सभी स्व. इंदिरा गांधी को लौह नारी के के रूप मे स्मरण करते हैं। बैंको का राष्ट्रीकरण और बंग्लादेश का निर्माण यह इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नारी की देन है। आज दश के प्रथम नागरिक ''राष्ट्रपति'' के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल रह चुकी है, कांग्रेस की सत्ता संगठन को सम्हालने वाली अध्यक्ष सोनिया गांधी है, भाजपा में सशक्त वक्ता सुषमा स्वराज है। दिल्ली में शिला दीक्षित मुख्य मंत्री के पद पर हैं। उ.प्र. में सुश्री मायावती मुख्यमंत्री का दायित्व निभा चुकी है। समाज सेवा,शिक्षा खेल,कला एवं अन्य क्षेत्रों मं अब छत्तीसगढ की भी नारिया आगे आ रही हैं।

महिला सशक्तीकरण के संबंध में डा. अम्बेडकर क विचार– अम्बेडकर ने महिलाओं की दयनीय एवं निम्न स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए, उन्हें सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दिया। उन्होंनें संविधान के माध्यम से महिलाओं को अधिकार प्रदान किए, और सामाजिक दृष्टि से आंदोलन व सभाओं के माध्यम से उनमें जाग्रति प्रदान कर उन्हें विकास की और अग्रसर किया। कानून मंत्री के रूप में अम्बेडकर जी ने भारतीय महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं व निर्योग्यताओं को दूर करने तथा उन्हे सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अम्बेडकर ने महिलाओं को राजनीतिक,सामाजिक, आर्थिक व कानूनी हर प्रकार से सशक्त बनाना चाहते थे। वह महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष देखना चाहते थे। वे महिलाओं से पूर्ण सामाजिक व कानूनी हो नहीं बल्कि आर्थिक एवं राजनीति भागीदारिता की भी आशा रखते थे। अतः उन्होंनें भारतीय महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक व कानूनी सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से प्रयास किये।

अध्ययन विधि– प्रस्तुत शोध पत्र में सतत् विकास लक्ष्य एवं महिला सशक्तीकरण के अध्ययन हेतु अनुसंधान की योजना बनाने से पहले सूचना एवं समंकों का संकलन किया गया है, जिनका अध्ययन एवं विश्लेषण करके ही निष्कष तक पहुंचा गया है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्त्रोता का उपयोग कर अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. सतत् विकास लक्ष्य एवं महिला सशक्तीकरण का अध्ययन।
2. सतत् विकास लक्ष्य एवं महिला सशक्तीकरण से संबंधित कार्यो का अध्ययन।
3. वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन।

साहित्य का अध्ययन–

1. **नारायण सत्य, (1992),** डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व कानूनी हर प्रकार से सशक्त बनाना चाहते थे। वह महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष देखना चाहत थे। वे महिलाओं से पूर्ण सामाजिक व कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक एवं राजनीति भागीदारिता की भी आशा रखते थे। अतः उन्होंनें भारतीय महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक व कानूनी सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से प्रयास किये।
2. **सिंह गोरव, (2013),** के अनुसार–आज हम सभी स्व. इंदिरा गांधी को लौह नारी के के रूप मे स्मरण करते हैं। बैंको का राष्ट्रीकरण और बंग्लादेश का निर्माण यह इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नारी की ही देन है। आज देश के प्रथम नागरिक ''राष्ट्रपति'' के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल रह चकी है, कांग्रेस की सत्ता संगठन को सम्हालने वाली अध्यक्ष सोनिया गांधी है भाजपा में सशक्त वक्ता सुषमा स्वराज है। दिल्ली में शिला दीक्षित मुख्य मंत्री के पद पर हैं। उ.प्र. में सुश्री मायावती मुख्यमंत्री का दायित्व निभा चुकी है। समाज सेवा,शिक्षा खेल,कला एवं अन्य क्षेत्रो म अब छत्तीसगढ की भी नारिया आगे आ रही हैं।
3. **कुमार मनीषा, (2010),** महिला सशक्तीकरणः दशा एवं दिशा, महिला सशक्तीकरण मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की राय लोगों द्वारा दी जाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी दश की तरक्को तभी हो सकती है, जब उस देश की महिलाओं के विकास के किए जा रहें हो, ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सकें।
4. **अग्रवाल, बीना (1989),** "ग्रामीण महिलाओं में निर्धनता और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके जीविकोपार्जन से संबंधित संघर्ष की व्याख्या करत हुए लैंगिक असमानताओं की विशिष्टताओं का उल्लेख किया है!

निष्कर्ष– निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, एक सफल सतत् विकास एजेंडा के लिए सरकारें, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज के बीव भागीदारी आवश्यक है। यह 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इनके निशाने पर मौजूद जटिल चुनौतियां न तो क्षेत्रों के निश्चित दायरे में और न ही राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सिमटे होते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में तालमेल का काम भारत सरकार के नीति आयोग ने सतत् विकास लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों से जुड़ी योजनाओं की पहचान शुरू की है और हर उद्देश्य लिए अग्रणी एवं सहायक मत्रालयों की भी पहचान कर ली है। महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज और दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है और साथ ही यह समावेशी भागीदारी के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे परिवार एवं संगठन की खुशिया में वृद्धि होती है, जहां महिलाओं का प्रभाव होता हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. सत्य नारायण, डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1992) 'सामाजिक एवं राजनैतिक विचार' इनडिपेंडेंट पब्लिशिग कम्पनी, दिल्ली।
2. सिंह गोरव (2013) 'महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थायें' आन्वीक्षिका (शोध पत्रिका) कनाडिया रोड, इंदौर।
3. कुमार मनीषा (2010) 'महिला सशक्तीकरण दशा एवं दिशा' कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
4. देसाई एन. (1957) 'वुमेन इन मार्डन इंडिया' वोरा एण्ड कंपनी, बाम्बे
5. रामगापाल सिंह (2001) 'सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन' मध्य–प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।